न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2016/00171 (170/2016) 223 आरटीएक्ट

1. लीलासिंह बनाम साधूसिंह
2. फौजा सिह पुत्र तेजासिह
3. मिलखा सिह पुत्र तेजासिंह

जाति रामदासिया निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुखविन्द्र कौर उर्फ मैलो पुत्री बलवीर सिह पत्नी बूटासिंह जाति चमार निवासी किलियावाली तहसील लम्बी जिला श्री मुक्तसर साहब (पंजाब)
2. करतार सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति चमार निवासी गली नं. 1 सरकारी अस्पताल के पास बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा।
3. काका सिह पुत्र भाग सिंह जाति चमार निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया
4. दर्शन सिंह पुत्र
5. मीठूसिंह पुत्र
6. सुखदेव सिह पुत्र

पुत्रगण जंगीर सिह पुत्र पूर्ण सिह जाति चमार निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

7. पूर्ण कौर पुत्री बलवरीसिह पत्नी जरनैल सिंह जाति हरिजन साकिन नंगल तहसील मानसा (पंजाब)
8. छिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी दाराराम निवासी आदनीया तहसील लम्बी जिला मुक्तसर हाल वार्ड नं. 4 बोझेवाला सोमसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. मलकीत कौर उर्फ मीठो कौर पत्नी सरदूल सिह उर्फ लीडर सिह जाति हरीजन निवासी मिठड़ी तहसील डबवाली सिरसा। – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03.11.2007 व निर्णय व डिक्री दिनाक 09.05.2015 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्र. सं. 144/2007 बअनवानी बलवीर सिह बनाम तेजा सिंह आदि

श्री राजन गाबा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामेशदास पुरोहित, श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7 व 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक –23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पिता बलवीर सिह ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 136 एलआरएक्ट में पेश किया। वादपत्र में यह कथन करते हुए कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के दादा पूर्णसिह पुत्र कालूसिंह के नाम चक 7 एन.के.आरी में सैटलमेंट से पूर्व 175 हिस्सा अर्थात 8 बीघा 15 बिस्वा 2.214 है. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी। पूर्णसिंह ने जरिये पंजिकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.08.1972 को चक 7 एन.के.आर. के प. नं. 133/151 के किला नं. 2–3 व 9 की 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कीमतन विक्रय कर दी और वादी के पिता पूर्ण सिंह की 1.455 है0 कृषि भूमि शेष रही। किन्तु भू प्रबन्ध कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बेयनामा का नामान्तरण करते समय पूर्णसिंह का नाम कलमजन करते हुए वादी के पिता के नाम दर्ज समस्त निस्फ हिस्सा का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया जबकि केवल 0.759 है. का हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था और 1.455 है. हिस्सा पूर्णसिंह का रहना चाहिए था। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में कुल कृषि भूमि का नामान्तरण करने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा कम करते हुए 1.897 है. कृषि भूमि दर्ज कर दी जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पूर्णसिह की मृत्यु हो चुकी है और उसका 1.455 है. भूमि का हक व हिस्सा वादी एव प्रतिवादी सं0 3 ता 7 का बनता है। वादी ने भूमि में वाद में वर्णितानुसार वादी का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बहिस्सा बराबर –2 तथा शेष 1/3 हिस्सा का हक प्रतिवादी सं. 4 व 7 का बहिस्सा बराबर की घोषणा एवं जमाबंदी दुरूस्त की जाने एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के नाम 1.455 है. कृषि भूमि दर्ज की जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ने जवाब दावा पेश किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पिता अनपढ मजदूर काश्तकार थे। तामील कुनिन्दा ने सम्मन पर यह कह कर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपको फसल खराबे का मुआवजा मिलेगा तब अपीलार्थी संख्या 1 ने तथा 2 व 3 के पिता ने अंगूठा कर दिया। तामील

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

कुनिन्दा ने अपीलार्थी संख्या 1 व तेजा सिह को कोई सम्मन की प्रति नहीं दी इस वजह से प्रकरण में उपस्थित नहीं आये और एक तरफा कार्यवाही व निर्णय हो गया जोकि विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादी ने कभी अपीलाण्ट की सम्यक रूप से तामील करवाने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। क्यों कि प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी हेतू सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया था जिसमें अपीलार्थी का नाम भी पक्षकार के रूप प्रकाशित करवाया जा सकता था किन्तु बेईमानी पूर्ण आंशय होने कारण सम्यक तामील नहीं करवाई गई। एकतरफा पारित निर्णय व डिक्री 09.05.2016 से करीब 8 वर्ष पूर्व दिनांक 20.06.2008 को अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त हो गया था। जिसका ज्ञान रेस्पोडेण्ट को रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्टगण ने **षड़यन्त्र पूर्वक अपीलार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि अपने नाम अंकित करवा ली** है। जिसका पता अपीलाण्ट को दिनांक 05.07.2016 को पटवारी हल्का से चला। प्रश्नगत आराजी पर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (2) पेज 873 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के दादा पूर्णसिह पुत्र कालूसिंह के नाम चक 7 एन.के.आरी में सैटलमेंट से पूर्व 175 हिस्सा अर्थात 8 बीघा 15 बिस्वा 2.214 है. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी। पूर्णसिंह ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1972 को चक 7 एन.के.आर. के प. नं. 133/151 के किला नं. 2–3 व 9 की 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कीमतन विक्रय कर दी और वादी के पिता पूर्ण सिंह की 1.455 है0 कृषि भूमि शेष रही। किन्तु भू प्रबन्ध कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बेयनामा का नामान्तरण करते समय पूर्णसिंह का नाम कलमजन करते हुए वादी के पिता के नाम दर्ज समस्त निस्फ हिस्सा का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया, जबकि केवल 0.759 है. का हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था और 1.455 है. हिस्सा पूर्णसिंह का रहना चाहिए था। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 क पक्ष में कुल कृषि भूमि का नामान्तरण करने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा कम करते हुए 1.897 है. कृषि भूमि दर्ज कर दी जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पूर्णसिह की मृत्यु हो चुकी है और उसका 1.455 है. भूमि का हक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व हिस्सा वादी एव प्रतिवादी सं0 3 ता 7 का बनता है। वादी ने भूमि में वाद में वर्णितानुसार वादी का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बहिस्सा बराबर –2 तथा शेष 1/3 हिस्सा का हक प्रतिवादी सं. 4 व 7 का बहिस्सा बराबर की घोषणा एवं जमाबंदी दुरूस्त की जाने एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के नाम 1.455 है. कृषि भूमि दर्ज की जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष मांगा था। दावा चलते के दौरान बलवीरसिह की मृत्यु हो गई तथा बलवीर सिंह के फौत होने के उपरान्त वादी सं0 1/1 व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बलवीरसिहं के जायज व कानूनी वारिसान होने के कनाते पक्षकार बनाया तथा बलवीरसिह क 1.455 है. में से 1/3 हिस्सा में वादी संख्या 1/1 व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिस्सा बराबर के हकदार थे। जिस अनुसार वाद विचाराधीन रहा लेकिन वाद का निर्णय व डिक्री फरमाते समय विचारण न्यायायल द्वारा 1.455 है0 में 1/3 हिस्सा का वादीया सं0 1 /1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया जबकि विधि अनुसार 1/3 हिस्सा में वादीया सं0 1/1 व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिस्सा बराबर के हकदार थे। अतः अपील में इसी अनुसार घोषणा की जावे। अपीलाण्ट की अपील निराधार पेश की गई है। अपीलाण्ट्स के सम्मन स्वयं पर तामील करवाये गये थे। इनकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया। तामील होने के उपरान्त यदि कोई पक्षकार फौत हो जाता है और उसके बाद निर्णय पारित किया जाता है तो आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के अनुसार निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो। इस प्रकार वाद में तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी की मृत्यु हो जाये तो निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिवादी लीला सिह व तेजासिंह की तामील हो चुकी थी वे जानबूझकर उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 डीएनजे (एससी) पेज 185 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायायल में रेस्पोडेण्ट सुखविन्दकौर के पिता बलवीरसिंह ने घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया था जिसमें जवाब दावा पेश हुआ और तनकियात कायम नही करते हुए वाद वादी डिक्री किया गया है। बहस में आये कथनों के अनुसार अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के पिता तेजासिह का देहान्त दिनांक 20.06.2008

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को हो गया था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2016 को किया गया हैं। इस प्रकार यह आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। इसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नियमानुसार आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। प्रश्नगत आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया आदेश है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 13:03:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: